

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(09)2018/143

दिनांक : 26 मार्च, 2018

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।



1. भैरूलाल पिता दीपा जाति सालवी आयु बालिग निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

प्रार्थी

बनाम

2. मोहनी देवी पत्नि रामदास जी जाति बैरागी आयु बालिग निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
3. नोसर बाई पत्नि प्रेमशंकर जी जाति ब्राह्मण आयु बालिग निवासी जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
4. कंकु बाई पत्नि मोहनलाल जी जाति राव आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5. चुन्नी लाल पिता मोती लाल जाति पारीक आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
6. बालु पिता भैरूलाल जाति अहीर आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
7. भगवानलाल पिता जीतु जाति अहीर आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
8. शंकर पिता जीतु जी जाति अहीर आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
9. लेहरी पत्नि जीतु जी जाति अहीर आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
10. रतन पिता रूपा जी जाति अहीर आयु बालिग निवासी लसाडिया खुर्द राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
11. नारायण पिता रूपा जाति अहीर आयु बालिग निवासी लसाडिया खुर्द राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
12. कमला पिता रूपा जाति अहीर आयु बालिग निवासी लसाडिया खुर्द राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
13. नारायणी पिता रूपा जाति अहीर आयु बालिग निवासी लसाडिया खुर्द राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
14. प्रभु पिता रामा जी जाति अहीर आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
15. नारायणी पत्नि रतन जाति अहीर आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
16. नारायण पिता दीपा जी जाति सालवी आयु बालिग निवासी जाडाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
17. तहसीलदार साहब राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 009/2018

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 600/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा रायपुरिया पटवार हल्का भीमगढ़ तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 348 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जाएँ, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावेँ। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।



401
(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़